

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(जुलाई 2017)

निगम के गोल बाजार नगर के पुराने बस स्टैण्ड में गोल बाजार बनाने निगम ने लिया था संकल्प नगर के पुराना बस स्टैण्ड में गोलबाजार बनाने का निगम का संकल्प कई वर्ष गुजर जाने के बावजूद आज तक अधूरा है न तो अभी तक यहां के पुराने दुकान तोड़े जा सके हैं और ना ही इस दिशा में निगम की कार्यवाही आगे बढ़ पायी है वर्तमान में पुराना बस स्टैण्ड जगह-जगह से गड्डो में तब्दील हो बदहाल हो चुका है वही बस स्टैण्ड के आधे हिस्से में यात्री बसों का अवैध कब्जा है बताया जा रहा है कि निगम के द्वारा सामान्य बैठक में पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि यहां के दूकानों को ढहा समतल मैदान बनाने के बाद माल अथवा गोल बाजार निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाया जायेगा

एक ही संस्थान से प्रशासन व निगम की टीम ने जब्त किया 3.25 क्विंटल

प्रतिबंधित कैरीबैग नगर निगम व प्रशासनिक अमले द्वारा बुधवार को शहर के विभिन्न जगहों पर छापामार कारवाई कर प्रतिबंधित कैरीबैग जब्त कियार कारवाई के दौरान सिर्फ एक ही संस्थान से 3.25 क्विंटल प्रतिबंधित कैरीबैग बरामद किया गया जबकि कुछ जगहों पर 50 किलो कैरीबैग मिला निगम आयुक्त सुर्यकिरण तिवारी के निर्देश पर बुधवार को प्रशासन व नगर निगम की टीम ने शहर के कई संस्थानों में छापामार कारवाई की गई संयुक्त टीम द्वारा 43 संस्थानों में कारवाई की गई

सम्पर्क हेतु नंबर –

निदान 1100 –

सफाई, पानी, सड़क बत्ती, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संबंधित शिकायत दर्ज करवाने संपर्क करे.

कार्यालय का पता – नगर पालिक निगम प्रशासनिक भवन, केदारपुर पानी टंकी
अम्बिकापुर (छ.ग.)